पत्रांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-07/2018........../ 188
29/5/18

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

निबंधित

प्रिंस कन्सट्रक्शन, बरोंदिया, सिमुतल्ला, जिला-जमुई(बिहार), निबंधन सं0-प्रथम (प्रो0-फर्म)-52(भवन)/2017 द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बाँका के निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-03.01.2018 एवं 12.01.2018 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित तकनीकी बीड के परिवाद पर समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त निविदा में (i) M/s Ganesh Ram Dokania Market, Banka, Bihar. (ii) J.K. Enginearing Pvt.Ltd., Raikua 5th Floor Room No-503 3A Ram Mohan Mullick Garden Lane Kolkatta-700010. (iii) M/s B.P. Constructon, Piskamore, Ranchi. (iv) Prince Constructon, Barondia Simultala, Jamui, Bihar. (v) Dipanshu Promoter and Builder Pvt.Ltd., 2B, Vatika Appartment, Linetank Road, Ranchi. द्वारा भाग लिया गया।

विषयांकित निविदा के निविदाकार मेसर्स गणेश राम डोकानिया, डोकानिया मार्केट, बाँका, बिहार के तकनीकि बीड अभिलेख का जाँच किया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि मेसर्स गणेश राम डोकानिया द्वारा समर्पित अभिलेख पर इस निविदा में भाग लिए एक दूसरे निविदाकार प्रिंस कन्सट्रक्शन, बरोंदिया, सिमुतल्ला, जिला-जमुई (बिहार) द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि Our Firm Prince Construction has agreed to excute the above said works on sub-contracts basis as per the terms and conditions of SBD. इससे स्पष्ट होता है कि दोनो निविदाकार यथा मेसर्स गणेश राम डोकानिया एवं प्रिंस कन्सट्रक्शन द्वारा सोची समझी साजिश के तहत समूह बनाकर निविदा में भाग लिए है। जिसके कारण समिति द्वारा उक्त दोनों संवेदकों के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 के अनुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में मुख्य अभियंता(दक्षिण) के पत्रांक-109(s) दिनांक-19.01.18 द्वारा भी उक्त कार्य के लिए संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई करने संबंधी अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक-05.03.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक प्रिंस कन्सट्रक्शन, से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक-2658(भ0)अनु0 दिनांक-21.03.18 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। दिनांक-28.03.2018 को संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध कराया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-07.05.18 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क)(x) के आलोक में संवेदक प्रिंस कन्सट्रक्शन, बरोंदिया, सिमुतल्ला, जिला-जमुई (बिहार), निबंधन सं0-प्रथम (प्रो0-फर्म)-52(भवन)/2017 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रिंस कन्सट्रक्शन, बरोंदिया, सिमुतल्ला, जिला-जमुई (बिहार), निबंधन सं0-प्रथम (प्रो0-फर्म)-52(भवन)/2017 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।

28/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-07/2018......5127 (नि) पटना, दिनांक-29/5/18

प्रतिलिपिः-प्रिंस कन्सट्रक्शन, बरोंदिया, सिमुतल्ला, जिला-जमुई (बिहार),निबंधन सं0-प्रथम (प्रो0-फर्म) -52(भवन)/2017 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-07/2018......5127 (नि) पटना,दिनांक-29/5/18

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-07/2018......5127 (नि) पटना, दिनांक-29/5/18

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

28/5/18